

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या- 1/2019/2467/दो-2-2019-19/2(52)/2003-टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 16 अक्टूबर, 2019

आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सिविल(कार्यकारी शाखा) सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी जनवरी,2020 से दिसम्बर,2020(जिनकी जन्मतिथि 02.1.1960 से 01.01.1961 के मध्य है) तक की अवधि में 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :-

क्र सं0	अधिकारियों का नाम व आवंटन वर्ष (सर्वश्री/श्रीमती)	पद नाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1.	राजेश कुमार श्रीवास्तव-1997	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) वाराणसी।	20.01.1960	31.01.2020
2.	जितेन्द्र कुमार शर्मा-2006	अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) गाजियाबाद।	06.02.1960	28.02.2020
3.	बच्चा लाल-2006	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)चन्दौली।	03.02.1960	28.02.2020
4.	उर्मिला देवी सोनकर-1997	सचिव,उ0प्र0अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,लखनऊ।	26.03.1960	31.03.2020
5.	सत्येन्द्र नाथ शुक्ला-2012	नगर मजिस्ट्रेट इटावा।	01.04.1960	31.03.2020
6.	सुरेन्द्र नाथ मिश्रा-2012	नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर।	25.03.1960	31.03.2020
7.	भगवत सारंग ओझा-1997	निलम्बित, सम्बद्ध उ0प्र0 राजस्व परिषद, लखनऊ।	04.03.1960	31.03.2020
8.	कृष्ण लाल-1997	अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) अलीगढ़।	20.04.1960	30.04.2020
9.	अशोक कुमार श्रीवास्तव-11,1999	अधिसासी निदेशक, कर्मचारी कल्याण निगम।	01.06.1960	31.05.2020
10.	सूर्य नारायण यादव-2001	सचिव,पिछड़ा वर्ग आयोग लखनऊ।	14.05.1960	31.05.2020
11.	धीरेन्द्र प्रताप सिंह-1997	मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।	20.06.1960	30.06.2020
12.	राजेन्द्र नाथ बाजपेयी-1997	विशेष सचिव,आयुष विभाग,उ0प्र0 शासन।	01.07.1960	30.06.2020
13.	श्रीराम यादव-2007	उप संचालक चकबन्दी एवं मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।	01.07.1960	30.06.2020
14.	ब्रज किशोर दुबे-2012	नगर मजिस्ट्रेट, बलिया।	07.06.1960	30.06.2020
15.	उदयी राम-1994	अपर निदेशक उदयोग अति0/कार्य0 अपर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	22.07.1960	31.07.2020
16.	महमूद आलम अंसारी-2001	मुख्य राजस्व अधिकारी, मिर्जापुर।	25.07.1960	31.07.2020
17.	ममता यादव-1996	विशेष सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।	25.08.1960	31.08.2020
18.	राम चन्द्र-1997	अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), मेरठ।	05.08.1960	31.08.2020
19.	अशोक कुमार सिंह-1997	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा, गोरखपुर।	06.08.1960	31.08.2020

-2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20.	सोबरन सिंह-1997	विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, 30प्र0 शासन।	16.09.1960	30.09.2020
21.	राम निवास शर्मा-1999	अपर जिलाधिकारी, (प्रशासन) बदायूं।	28.09.1960	30.09.2020
22.	प्रदीप कुमार सिंह-2012	नगर मजिस्ट्रेट, बाँदा।	12.10.1960	31.10.2020
23.	महेश चन्द्र शर्मा-2001	मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर।	18.11.1960	30.11.2020
24.	जान प्रकाश श्रीवास्तव-2006	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इटावा।	02.11.1960	30.11.2020
25.	वीरेन्द्र कुमार दोहरे-1997	अपर आयुक्त, बस्ती।	15.12.1960	31.12.2020
26.	सतीश कुमार दुबे-1997	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी, गौतमबुद्ध नगर।	01.01.1961	31.12.2020
27.	शिवेन्द्र कुमार सिंह-1997	मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।	31.12.1960	31.12.2020
28.	मनोज कुमार सिंघल-1999	अपर जि0अ0(वि0/रा0), बुलन्दशहर।	05.12.1960	31.12.2020
29.	लक्ष्मी शंकर सिंह-1999	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद।	01.01.1961	31.12.2020

(धनन्जय शुक्ल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 3- निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निम्नलिखित को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने जनपद/विभाग में तैनात संबंधित अधिकारियों का सेवानिवृत्ति की तिथि से अवगत कराने तथा उक्त अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व पाँच वर्षों में, यदि वे अन्य जनपदों में तैनात रहे हैं, तो कृपया संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि वे संबंधित जनपदों में अपने विगत पाँच वर्षों की अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके शासन को उपलब्ध करायें:-
 - (क) अध्यक्ष, 30प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ।
 - (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खादय एवं रसद/आयुष/ कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार/पंचायती राज विभाग, 30प्र0 शासन।
 - (ग) मण्डलायुक्त, बस्ती।
 - (घ) जिलाधिकारी, वाराणसी/गाजियाबाद/चन्दौली/इटावा/जौनपुर/अलीगढ़/प्रतापगढ़/बलिया/मिर्जापुर/मेरठ/बदायूं/गाजीपुर/बाँदा/रामपुर/बुलन्दशहर/मुरादाबाद।
 - (ङ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गौडा, गोरखपुर/ यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी, गौतमबुद्धनगर।
 - (च) आयुक्त एवं निदेशक, उदयोग, कानपुर।
 - (छ) आयुक्त चकबन्दी विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 30प्र0 शासन/निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी पर आवासीय किराया अथवा अन्य देय बकाया हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6- उ०प्र० सचिवालय पुस्तकालय एवं प्रलेखीकरण केन्द्र/विधि परामर्शी पुस्तकालय/विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी पर पुस्तकों का कोई अवशेष देय हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।
- 7- संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व सम्स्त शासकीय देयों का भुगतान सुनिश्चित करें और सेवानिवृत्ति से 05 वर्ष पूर्व की तैनाती का अदेयता प्रमाण पत्र तथा सेवानिवृत्तिक देयों से संबंधित पेंशन प्रपत्र(03 प्रतियों में), जी०आई०एस० प्रपत्र (04 प्रतियों में), उपाजित अवकाश नगदीकरण आवेदन पत्र, जी०पी०एफ० पासबुक अद्यतन प्रविष्टियाँ सहित फोटो प्रति प्रमाणित तथा मूलरूप में ससमय शासन को उपलब्ध करायें। यदि सेवानिवृत्ति की तिथि में कोई विसंगति हो तो शासन को तत्काल अवगत करायें।
- 8- प्रबन्धक, सी०एस०आई०टॉवर, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यदि उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के ऊपर यदि कोई देय हो तो उसकी वसूली करके समयान्तर्गत अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।
- 9- विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव, इरला चेक अनुभाग(वे०प०प्र०)उ०प्र० शासन।
- 10- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-9(विविध)।
- 11- सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध)।
- 12- नियुक्ति अनुभाग-3,6 व 7

आज्ञा में,

(विजय कुमार संखवार)
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly a separate section or paragraph.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the document's narrative or information.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a signature area.

Sixth block of faint, illegible text, appearing as a distinct section of the document.

Seventh block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Eighth block of faint, illegible text, possibly a list or detailed notes.

Ninth block of faint, illegible text, continuing the document's narrative.

Tenth block of faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or final remarks.